न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1184 सन् 2026
CNR No. UPGH010027542026

1– सूरज यादव उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र गया यादव
2– लालमुनी देवी उम्र लगभग 60 वर्ष पत्नी गया यादव
3– बबीता उम्र लगभग 35 वर्ष पत्नी विवेक यादव
निवासीगण ग्राम बाकरचक, थाना जंगीपुर, जिला गाजीपुर।
4– पूजा यादव उम्र लगभग 29 वर्ष पत्नी कवलादार यादव उर्फ जितेश यादव निवासी ग्राम मोहनपुरवा, थाना बिरनो, जिला गाजीपुर।
5– कवलादार यादव उर्फ जितेश यादव उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र हरिहर यादव निवासी ग्राम आराजी ओड़ासन (मोहनपुरवा), थाना बिरनो, जनपद गाजीपुर।
6– आकाश उर्फ गुलशन यादव उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्र विरेन्द्र यादव निवासी ग्राम चिलार, थाना शादियाबाद, जिला गाजीपुर।

––––––आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य बजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, गाजीपुर।
2– रीना यादव पुत्री स्व० अनिरूद्ध यादव पत्नी सूरज यादव निवासी ग्राम बाकरचक, थाना जंगीपुर, जिला गाजीपुर। हाल मुकाम ग्राम मेहरअलीपुर उर्फ भंवरी, थाना जंगीपुर, जिला गाजीपुर।
3– थानाध्यक्ष, थाना जंगीपुर, जिला गाजीपुर।

–––––––विपक्षीगण

मु०अ०सं०–101/2026
धारा–115(2), 352, 85, 89 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–जंगीपुर, **जनपद** गाजीपुर।
अभियुक्तगण की ओर से: श्री विनोद कुमार दूबे, एडवोकेट
राज्य की ओर से: श्री कृपाशंकर राय जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)

22–07–2026

1– प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण सूरज यादव, लालमुनी देवी, बबीता, पूजा यादव, कवलादार यादव उर्फ जितेश यादव व आकाश उर्फ गुलशन यादव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–101/2026, धारा 115(2), 352, 85, 89 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना जंगीपुर, जिला गाजीपुर के मामले में अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा रीना यादव द्वारा संबंधित थाना पर इस आशय का अभियोग दर्ज कराया गया कि उसका विवाह सूरज यादव के साथ दिनांक 05–12–2023 को हुआ था। विवाहोपरान्त प्रार्थिनी विदा होकर के अपने ससुराल अपने पति के घर गई और बतौर पति पत्नी करीब चार माह रही। विवाह में प्रार्थिनी के माता पिता ने तीन लाख रूपया नगद, नाक एवं कान का गहना सिकडी, तीन अंगुठी, मंगलसूत्र व पायल तथा बीस साड़ी व रिश्तेदारों द्वारा दिये गये उपहारों के साथ विदा किया था। लेकिन प्रार्थिनी के पति व उनका परिवार तथा उनके कुछ रिश्तेदार इतने दहेज से खुश नहीं थे और हमेशा प्रार्थिनी को सुनाकर कहते थे कि सूरज के शादी के लिए काफी अच्छे–अच्छे और दहेज वाले रिश्ते आ रहे थे लेकिन उन लोगों का कर्म फूटा था जो सूरज की शादी इससे हो गई और प्रार्थिनी की सास लालमुनि देवी, पति सूरज यादव, जेठ विवेक यादव, नीरज यादव व देवर राहुल तथा जेठानी बबिता व नीलम, रिश्तेदार आकाश उर्फ गुलशन पुत्र विरेन्द्र यादव निवासी ग्राम चिलार पो० हंसराजपुर थाना शादियाबाद जिला गाजीपुर, जितेश यादव पुत्र हरिहर यादव निवासी ग्राम मोहनपुरवा पो० बिरनो थाना बिरनो जिला गाजीपुर, ननद पूजा यादव पुत्री गया यादव पत्नी जितेश यादव निवासी ग्राम मोहनपुरवा थाना बिरनो जिला गाजीपुर हालपता ग्राम बाकरचक थाना जंगीपुर जिला गाजीपुर यह सभी लोग प्रार्थिनी से अपने मायके से दहेज में बुलेट गाडी व पैसे दिलाने के लिए दबाव बनाने लगे और ताना मारते हुए व्यंग्य बोलने लगे जिससे प्रार्थिनी मानसिक रूप से बीमार पड़ गयी। इन सभी के प्रताड़ना से परेशान होकर प्रार्थिनी ने उक्त सारी बातें अपने पिताजी को बतायी। तब प्रार्थिनी के पिताजी प्रार्थिनी के भाई प्रदुम्न यादव के साथ इन लोगों के घर पर आये तथा निवेदन किये कि वह बहुत गरीब आदमी है और अभी उसे अपनी एक बिटिया और दो बेटों की शादी करनी है। वह उन लोगों को बुलेट गाड़ी और पैसा नहीं दे पायेगा। उसकी बेटी को अपना लीजिए और अच्छे से रखिए और वापस घर चले गये, लेकिन प्रार्थिनी के ससुराल वालों और उनके रिश्तेदारों की आदत में कोई सुधार नहीं आया और ये लोग दहेज को लेकर प्रार्थिनी को काफी ज्यादा परेशान करने लगे जिससे उसकी तबियत खराब हो गयी जिसके कारण प्रार्थिनी घर का कोई काम नही कर पाती थी जिसको लेकर सास, ननद तथा जेठ लोग ताना मारते थे और कहते थे कि उन लोगों ने उससे अपने मायके से पैसा और बुलेट मोटरसाईकिल लाने के लिए कहा लेकिन वह नही माने वे लोग ऐसा कर देंगे कि वह खुद ही परेशान होकर अपने घर चली जायेगी। इसी बीच प्रार्थिनी के पति सूरज यादव ने जबरदस्ती अपने साथ वाजिदपुर थाना बिरनो में स्थित अपने पहचान के एक महिला डाक्टर के क्लीनिक/घर पर ले जाकर प्रार्थिनी को गर्भपात का दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया जिससे उसका शारीरिक स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब हो गया और उसके बच्चेदानी में सूजन भी हो गया इसके बाद भी पति ने एक बार गर्भपात का दवा खिला दिया। जब प्रार्थिनी ने अपने स्वास्थ्य खराब होने के बारे में अपने पति से बताया तो उसने कहा कि वह है। सब ठीक हो जायेगा। पति द्वारा गर्भापत की दवा खिलाने तथा ससुराल वालों के प्रताड़ित करने और खाना पानी न देने के कारण प्रार्थिनी की और ज्यादा तबियत खराब हो गयी। तब ससुराल वालों ने जबरदस्ती प्रार्थिनी को अपने मायके जाने के लिए कहने लगे। जब प्रार्थिनी ने अपने मायके जाने से मना किया तो इन लोगों ने फोन करके प्रार्थिनी के भाई को अपने घर बुलाया और भाई से बोले कि उसकी बहन का तबियत खराब है। इसे लेकर अपने घर जाओ, जब ठीक हो जायेगी तब इसे पहुँचा देना। तब प्रार्थिनी के भाई ने बोला कि जब उसकी बहन की तबियत खराब है तो वे लोग उसका ईलाज क्यों नहीं करा रहे हैं। इस बात पर प्रार्थिनी के पति सूरज यादव व देवर आकाश यादव तथा ननद पूजा यादव ने मिलकर प्रार्थिनी तथा उसके भाई को गाली गुप्ता देते हुए लात, मुक्का से मारने पीटने तथा ननद पूजा ने प्रार्थिनी के सिर का बाल पकड़कर घसीटने

लगी। मौके पर आस पास के काफी लोग इकट्ठा थे, लेकिन कोई भी इन लोगों के डर के मारे बीच बचाव नहीं करने आया। इसके बाद प्रार्थिनी का उसे लेकर मायके चला आया और तभी से वह अपने मायके में रह रही है। प्रार्थिनी के पिताजी इस घटना से काफी परेशान रहने लगे और उन्होने ससुराल वालों से कई बार विदाई कराने के लिये आग्रह किया, लेकिन ससुराल वाले कहने लगे कि वे लोग उसकी लड़की को नहीं रखेंगे। इसी बात से प्रार्थिनी के पिताजी मानसिक रूप से परेशान हो गये और प्रार्थिनी के भविष्य की चिन्ता करने लगे जिससे उनकी काफी ज्यादा तबियत खराब हो गयी जिनको उन लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ पर दिनांक 15 जुलाई 2025 को पिताजी की मृत्यु हो गयी। पिताजी के मृत्यु के बाद प्रार्थिनी के छोटे भाई प्रदुम्न व रिश्तेदारों ने भी प्रार्थिनी के ससुरालवालों से विदाई कराने के लिए निवेदन किया, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जब तक बुलेट गाड़ी और 02 लाख रूपया नहीं देंगे तब तक वे लोग उसकी बहन को अपने घर में नहीं रखेंगे जिसको लेकर प्रार्थिनी व उसका भाई व परिवार के अन्य सभी सदस्य मानसिक रूप से काफी परेशान रह रहे हैं। उक्त घटना को लेकर प्रार्थिनी का भाई मानसिक रूप से काफी परेशान रह रहा है और उसके साथ भी कोई अनहोनी होने की सम्भावना है। प्रार्थिनी के ससुराल वालों ने उसका गहना भी अपने पास रख लिया है और प्रार्थिनी को रखना नहीं चाहते हैं तथा प्रार्थिनी के पति के गर्भपात की दवा खिलाने से उसका शरीर भी खराब हो गया है और बच्चेदानी में सूजन भी हो गया है। वादिनी मुकदमा के उक्त तहरीर पर इस प्रकरण की प्राथमिकी आवेदकगण/अभियुक्तगण सूरज यादव, लालमुनी देवी, विवेक यादव, नीरज यादव, राहुल यादव, बबिता, नीलम, पूजा यादव, आकाश उर्फ गुलशन यादव व जितेश यादव के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–101/2026, धारा 115(2), 352, 85, 89 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना जंगीपुर, जिला गाजीपुर में पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उनके द्वारा उक्त आशय का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को विश्वास करने का आधार है कि पुलिस थाना जंगीपुर आवेदकगण/अभियुक्तगण को उपरोक्त मुकदमें में कभी भी अपमानित व प्रकरण में निरूद्ध कराये जाने के उददेश्य से गलत तौर पर गिरफतार कर सकती है। आवेदकगण/अभियुक्तगण न ही वादिनी मुकदमा व उसके परिवार से कभी किसी प्रकार के दहेज की मांग किये हैं, न ही वादिनी मुकदमा को कभी भी शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किये हैं। प्राथमिकी में घटना किस विशिष्ट तिथि, समय, पर कारित हुई है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। कथित घटना के बाबत कभी भी वादिनी मुकदमा द्वारा कहीं कोई शिकायती प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया है। मामले के नामित व्यक्ति विवेक यादव व नीरज यादव आसम रायफल व भारतीय सेना में कार्यरत है। वास्तुस्थिति यह है कि वादिनी मुकदमा काफी स्वच्छन्द व फैशनपरस्त महिला है तथा शादी के बाद जब वह प्रथम बार विदा होकर आवेदक नं० 1 के घर आयी तो कुछ दिनों तक ही ठीक से रही। आवेदक नं० 1 के अन्य भाई विवेक यादव व नीरज यादव जो नौकरी के सिलसिले में बाहर थे तथा घर पर आवेदक नं० 1 अपने बूढ़े माता पिता के साथ रह कर खेती गृहस्थी व प्राइवेट कार्य करता है। मुकदमा वादिनी आवेदक नं० 1 के माता पिता के साथ संयुक्त परिवार में शामिल सरीक होकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी तथा आवेदक नं० 1 के उपर परिवार से अलग होकर रहने के लिये दबाव बनाती थी। आवेदक नं0 1 द्वारा मुकदमा वादिनी के उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तथा उसे काफी समझाया बुझाया, लेकिन वह आये दिन परिवार से अलग होकर रहने की बात को लेकर आवेदक नं0 1 व उसके बूढ़े माता पिता के साथ, अभद्र व्यवहार करने लगी। आवेदक न० 1 ने मुकदमा वादिनी को स्वयं तथा सगे सम्बन्धी व रिश्तेदारों द्वारा काफी समझाया बुझाया, लेकिन वह अपनी जिदद पर अड़ी रही तथा दिनांक 26–02–2025 को आवेदक नं० 1 व उसके माता पिता की गैर मौजूदगी में स्वेच्छ्या बिना

किसी उचित व पर्याप्त कारण के आवेदक नं० 1 का घर छोडकर मायके चली गयी। आवेदक नं० 1 द्वारा मुकदमा वादिनी को काफी समझाया बुझाया गया तथा कई बार विदाई हेतु प्रयास किया गया, लेकिन वादिनी मुकदमा आवेदक नं० 1 से 20 लाख रूपया एकमुश्त लेने की मांग करने लगी तथा न देने पर आवेदक नं० 1 व उसके पूरे परिवार के सभी लोगों के विरूद्ध फर्जी मुकदमा कायम कराने की धमकी भी दिया। चूंकि आवेदक नं0 1 मुकदमा वादिनी को बतौर पत्नी अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद जब मुकदमा वादिनी उसके साथ बतौर पत्नी रहने को तैयार नहीं हुई तो आवेदक नं० 1 द्वारा विवाह विच्छेद कराये जाने के बाबत न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गाजीपुर में वैवाहिक वाद सं० 94/2026 दिनांक 12–02–2026 दाखिल किया गया है, जो विचाराधीन है। मुकदमा वादिनी को जैसे ही विवाह विच्छेद की मुकदमें की जानकारी होने के बाद मुकदमा वादिनी ने बिल्कुल झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर मौजूदा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27–05–2026 को हल्का थाना जंगीपुर को साजिश में करके आवेदकगण/अभियुक्तगण को तंग व परेशान किये जाने की नियत से कायम किया एवं कराया है। मुकदमा वादिनी द्वारा स्वयं को आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा मारने पीटने का आरोप लगाया गया है, लेकिन मुकदमा वादिनी को खरोंच जैसी कोई चोट भी नहीं आयी है। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से बिना कोई स्पष्टीकरण दिया दर्ज करायी गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

4– जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर वादिनी मुकदमा को प्रताड़ित किया गया तथा उसके साथ ससुराल में दुर्व्यवार किया गया है। उक्त के आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण पर वादिनी मुकदमा के साथ दहेज की माँग करने, दहेज के लिये प्रताड़ित करने तथा मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त संख्या–01 सूरज यादव पीड़िता का पति है, अभियुक्ता संख्या–02 लालमुनी देवी पीड़िता की सास है, अभियुक्ता संख्या–3 बबीता पीड़िता की जेठानी है, अभियुक्ता संख्या–04 पूजा यादव पीड़िता की ननद है, अभियुक्त संख्या–05 कवलादार यादव उर्फ जितेश यादव पीड़िता का नन्दोई है तथा अभियुक्त संख्या–06 आकाश उर्फ गुलशन यादव पीड़िता के पति अभियुक्त संख्या–01 सूरज यादव का मौसेरा भाई है। अभियुक्त संख्या–01 सूरज यादव के अतिरिक्त अन्य समस्त आवेदकगण/अभियुक्तगण पर सामान्य आरोप लगाये गये है। वादिनी मुकदमा के इंजरी रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उसमें वादिनी मुकदमा को सर व पीठ में दर्द की शिकायत होने का उल्लेख किया गया है तथा उसके एक्स–रे रिपोर्ट में भी कोई असामान्यता नहीं पायी गयी है। पीड़िता ने पुलिस के समक्ष दिये गये बयान में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन किया है तथा आवेदक/अभियुक्त संख्या–01 सूरज यादव द्वारा उसे दहेज हेतु प्रताड़ित करने के अतिरिक्त उसका गर्भपात कराने का कथन किया है। पीड़िता व आवेदक/अभियुक्त संख्या–01 के मध्य न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय गाजीपुर में विवाह विच्छेद का मुकदमा लम्बित होना बताया गया है। चूँकि आवेदक/अभियुक्त संख्या–01 सूरज यादव पीड़िता का पति है तथा उसका यह दायित्व है वह अपनी पत्नी (पीड़िता) के प्रति अपने सम्पूर्ण दायित्वों का निर्वाहन करें जोकि प्रस्तुत मामले में उसके द्वारा नहीं किया जाना बताया गया है। अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों व आवेदक/अभियुक्त

संख्या–01 सूरज यादव की मामले में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये आवेदकगण/अभियुक्तगण का प्रस्तुत अग्रिम जमानत आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त सूरज यादव द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

शेष आवेदकगण/अभियुक्तगण लालमुनी देवी, बबीता, पूजा यादव, कवलादार यादव उर्फ जितेश यादव व आकाश उर्फ गुलशन यादव द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। गिरफ्तारी की दशा में आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष मुब० 1,00,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं विधि व्यवस्था **Smt. Bacchi Devi Vs State of U.P and Another (2025 SCC Online ALL 5286)** व **Pappu Met @Pappu Vs State of U.P. & Anr. Matters Under Article 227 No. 15205 of 2025 Judgement dated 11 December 2025** में प्रतिपादित सिद्धातों के दृष्टिगत सम राशि की एक–एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उन्हें निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाये कि–

(I) आवेदकगण/अभियुक्तगण विवेचना में सहयोग करेंगे।

(II) मामले को न्यायालय में प्रेषित किये जाने की स्थित में आवेदकगण/अभियुक्तगण की व्यक्तिगत हाजिरी जब तक विचारण न्यायालय द्वारा माफ नहीं की जायेगी तब तक वे प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे,

(III) आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सकें,

(IV) आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे,

(V) आवेदकगण/अभियुक्तगण आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगे, जिसमें उन्हें आरोपित किया गया है।

दिनांकः 22–07–2026

(शक्ति सिंह–I)
J.0. Code: U.P. 6352
प्रभारी सत्र न्यायाधीश
गाजीपुर।